पत्रांक—11/नि2-13/91/ 15 अंश ①

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक:

830

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 30 अप्रैल, 2015

विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक के नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक के अभ्यर्थियों द्वारा मेधा सूची में मेधा अंक के निर्धारण, संगीत से संबंधित डिग्री/उपाधि एवं कम्प्यूटर शिक्षको को आर्नस के लिए अतिरिक्त देने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। निदेशानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई तत्काल स्थगित रखा जाय। नियोजन से संबंधित कार्यक्रम संसूचित करने के उपरान्त ही नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

विश्वासभाजन,
29.4.15
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांक 830 पटना, दिनांक 30/4/2015

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.4.15
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

E/Hindi Letter 14-15

पत्रांक : 11/वि1-50/2013 820

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

प्रेषक :

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 25/4/2015

विषय : **माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1594 दिनांक 12.12.2014 एवं 620 दिनांक– 02.04.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संबंध में निदेश दिया गया था। कतिपय जिलों द्वारा समय–तालिका का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में पुनः निदेश के साथ नियोजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

विभागीय पत्रांक– 620 दिनांक– 02.04.15 द्वारा एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निम्न तिथि को नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया था :–

नगर निगम	–	05.05.15
नगर परिषद	–	05.05.15
नगर पंचायत	–	05.05.15
जिला परिषद	–	07.05.15

अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के नियम– 6 (ख) के प्रावधान के अनुसार अनुमोदित मेधा सूची के इच्छुक अभ्यर्थियों से उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। संबंधित नियोजन इकाई द्वारा उपरोक्त तिथि को ही यह प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए निर्दिष्ट तिथि को नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।

नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब–साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त कार्यक्रम के आलोक में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए क्रमशः अधोहस्ताक्षरी (directorse.edu@gmail.com) एवं सबंधित पदाधिकारी (ajit.kumar9192@gmail.com) के ई–मेल पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,
25.4.15
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक– 11 / वि1–50 / 2013 820 पटना, दिनांक....25 | 5 2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.5.15

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या : 11/वि 1–50/2013 ....633..../ पटना, दिनांक : .....2..... अप्रैल, 2015

एतद् द्वारा बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट/ अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में प्रशिक्षित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति में निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी:–

(i)	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	07–04–2015
(ii)	मेधा सूची पर आपत्ति	08–04–2015 से 22–04–2015 तक
(iii)	आपत्तियों का निराकरण	27–04–2015
(iv)	मेधा सूची का अनुमोदन एवं अंतिम प्रकाशन	30–04–2015
(v)	नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना –	
	नगर निगम	05–05–2015
	नगर परिषद्	05–05–2015
	नगर पंचायत	05–05–2015
	जिला परिषद्	07–05–2015

2. एतद् द्वारा हितबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।
3. पूर्व में विज्ञापित नियोजन संबंधी अन्य सूचनाएँ यथावत् रहेंगी।
4. नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के वेबसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब–साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

2/4/15
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या : 11/वि 1–50/2013 ..../ पटना, दिनांक : .... दिसम्बर, 2014

बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट/ अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में प्रशिक्षित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी:–

(i)	रिक्तियों का समेकन	18–12–14
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर विषयवार रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों का प्रेषण/ सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन	20–12–2014 तक
(iii)	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	22–12–2014 से 21–01–2015 तक
(iv)	मेधा सूची की तैयारी	22–01–2015 से 31–01–2015 तक
(v)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	05–02–2015 तक
(vi)	मेधा सूची का प्रकाशन	07–02–2015
(vii)	मेधा सूची पर आपत्ति	09–02–2015 से 22–02–2015 तक
(viii)	आपत्तियों का निराकरण	26–02–2015
(ix)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	28–02–2015
(x)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	03–03–2015 से 12–03–2015 तक
(xi)	जिला परिषद् एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	15–03–2015
(xii)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	20–03–2015
(xiii)	नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना –	
	नगर निगम	23–03–2015
	नगर परिषद्	23–03–2015
	नगर पंचायत	23–03–2015
	जिला परिषद्	24–03–2015

2. <u>शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन</u> :– <u>माध्यमिक शिक्षक</u> :– (क) राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक नवस्थापित राजकीय विद्यालयों एवं आदर्श विद्यालयों में विद्यालयवार स्वीकृत पद के विरूद्ध प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में दिनांक 31.12.

(276)

2011 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आवंटित इकाई के अन्तर्गत अवशेष रिक्त पदों पर विभाग के निदेश के आलोक में बैकलॉग की प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुए नियोजन किया जायेगा।

31.5.12 (ख) दिनांक 01.01.12 से 31.12.13 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के रिक्त पदों के विरूद्ध भी नियोजन किया जायेगा।

(ग) क्रमांक "क" अन्तर्गत विभागीय निदेश के आलोक में न्यायालीय मामले के लिए रिक्ति सुरक्षित रखा जायेगा।

(घ) जिला शिक्षा पदाधिकारी नियमित रिक्त पदों के संबंध में यह सुनिश्चित हो लेंगे कि विद्यालय हेतु स्वीकृत पद के अन्तर्गत ही रिक्त इकाई के विरूद्ध नियोजन किया जायेगा।

(ङ.) मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तत्संबंधी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के आलोक में किया जायेगा।

(च) प्रत्येक नियोजन ईकाई के द्वारा पूर्व में आवंटित इकाई अन्तर्गत अवशेष रिक्ति तथा दिनांक 01.01.12 से 31.12.13 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के पदों का विषयवार समेकन कर कुल रिक्ति के विरूद्ध नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला जायेगा। विज्ञापन में यह आशय अंकित किया जाय कि रिक्ति घट बढ़ सकती है।

(छ) उच्च माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत नियोजन इकाईवार, विद्यालयवार, विषय (आवश्यकतानुसार) चिह्नित कर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा +2 स्तरीय कक्षा में भाषा समूह एवं वैकल्पिक विषय समूह अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट विषयों में नियोजन किया जाना है। विभागीय पत्रांक 825 दिनांक 29.05.2013 द्वारा विभिन्न जिलों को आवंटित इकाई अन्तर्गत उपलब्ध इकाई से नियोजन किया जाना है। विभागयी पत्रांक 121 दिनांक 27.01.2014 द्वारा NRB के अन्तर्गत आवंटित इकाई के उपयोग करने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया था। भाषा समूह अन्तर्गत इकाई की आवश्यकता होने पर NRB के अन्तर्गत आवंटित इकाई से नियोजन किया जायेगा।

(ज) प्रत्येक नियोजन ईकाई के द्वारा निर्धारित तिथि को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रकाशित सूचना में नियोजित किये जानेवाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों की कोटि एवं विषयवार रिक्ति की संख्या का उल्लेख रहेगा। नियोजन इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित जिला परिषद् / निकायों द्वारा निर्धारित तिथि को सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। नियोजन इकाई द्वारा प्रकाशित सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिले के NIC के बेवसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा।

(झ) जिला स्तर पर नियोजन ईकाइयों द्वारा माध्यमिक /उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों का जिला परिषद्/निकायवार/विद्यालयवार / विषयवार आरक्षण बिन्दुओं के सहित रिक्त पदों का प्रकाशन अभ्यर्थियों के सुविधा एवं पारदर्शिता के लिए समेकित रूप से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।

(ञ) इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर सहायक विषय एवं प्रतिष्ठा/समकक्ष के पठित विषय में हीं माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन दिया जायेगा ।

(ट) हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के नियोजन के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी सहायक विषय/प्रतिष्ठा/समकक्ष के रूप में पठित हो।

(ठ) शारीरिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2006 में प्रावधान के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के वैसे अभ्यर्थी भी योग्य माने जायेंगे जो 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से बी०पी०ई० (शारीरिक शिक्षा) में स्नातक उत्तीर्ण होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य स्नातक होना आवश्यक नहीं होगा।

3. <u>आवेदन पत्र</u> :– (क) माध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र, अंक पत्रों एवं अन्य के स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य–सचिव को निबंधित डाक / स्पीड–पोस्ट हाथो–हाथ द्वारा ही निर्धारित तिथि तक समर्पित किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः स्नातक स्तर पर पठित विषयों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पठित विषय अन्तर्गत नियोजन हेतु आवेदन दिया जायेगा।

(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी नियोजन इकाईवार आवेदन प्राप्त करने हेतु सभी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विधि व्यवस्था हेतु भी दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु भी जिला पदाधिकारी से आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

4. <u>आवेदन पत्रों का पंजी में संधारण</u> :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की तिथिवार प्रविष्टी तथा मेधा सूची, नियोजन हेतु काउंसिलिंग आदि का ब्यौरा पंजी में संधारित किया जायेगा। पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सदस्य सचिव तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि के उपरान्त पंजी को क्लोज कर दिया जायेगा एवं संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव तथा सदस्य के द्वारा उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कर दिया जायेगा। नियोजन निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों का संधारण, मेधा सूची का निर्माण आदि कम्प्यूटर में भी किया जा सकेगा।

<u>प्रथम नियोजन में नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन</u> :– "<u>समान नियत वेतन में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन नहीं देंगे</u>" चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण देना होगा कि वे समान नियत वेतन में पूर्व में नियोजित नहीं है।

5. <u>आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग</u> :– नियोजन के क्रम में आरक्षण रोस्टर का बैकलॉग को लेते हुए पालन किया जायेगा। माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन हेतु उपलब्ध कराये गये पदों का जिला स्तर पर विषयवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

12.12.14.
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :– 11 / वि 1–50 / 2013 / 1594 / पटना, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2014

<u>प्रतिलिपि</u>: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी महापौर, नगर निगम / सभी अध्यक्ष जिला परिषद् / नगर पंचायत / नगर परिषद् / सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर आयुक्त नगर निगम / सभी उप विकास आयुक्त / सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् / नगर पंचायत / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.12.14
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :– 11 / वि 1–50 / 2013 / 1594 पटना, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2014

<u>प्रतिलिपि</u>: सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्राथमिक शिक्षा / आप्त सचिव, मंत्री, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.12.14.
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)